ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ॰शा॰मिसिल सं॰ 9–1/2010 (वेतनमान/विविध) भाग–2 3 जून, 2019

विषयः उच्च शिक्षा संस्थानों में वरिष्ठ शिक्षाविदों तथा अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रण हेतु दिशानिर्देश।

आदरणीय,

विश्वविद्यालय अुनदान आयोग ने दिनांक 9 अप्रैल 2019 को आयोजित 540वीं बैठक में वरिष्ठ शिक्षाविदों/अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया है:

1. इस प्रकार के शिक्षक **"विशिष्ट अभ्यागत विद्वान"** के रूप में नामित होंगे।
2. वरिष्ठ शिक्षाविद्, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ उद्योग कर्मी और प्रख्यात व्यक्तित्व जिन्होंने संबद्ध/प्रासंगिक/अनुप्रयुक्त विषय के ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है, विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रित किये जाने के लिए योग्य होंगे।
3. विशिष्ट अभ्यागत विद्वान संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान से बाहर के विश्वविद्यालय/संस्थान से आंमत्रित किये जायेंगे।
4. विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को आंमत्रित किये जाने का प्रस्ताव संबधित स्कूल/विभाग/केन्द्र द्वारा शुरू किया जायेगा। आमंत्रण को कुलपति/संस्थान के प्रमुख के अनुमोदन के साथ विस्तारित किया जायेगा।
5. विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को एक घण्टे की अवधि के लिए प्रति व्याख्यान 5000/- रूपये के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।
6. विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को एकल व्याख्यान/श्रृंखला व्याख्यानों के लिए आंमत्रित किया जा सकता है।
7. मानदेय का भुगतान सामान्य विकास निधि/ब्लॉक अनुदान/विश्वविद्यालयों अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अन्य स्रोतों से किया जा सकता है।
8. मानदेय के अलावा यात्रा और अन्य खर्चों का भी भुगतान किया जा सकता है।

यह सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सूचनार्थ व अनुपालन के लिए है।

सादर,

भवदीय,
रजनीश
(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति